राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 122/2019

सुरेश यादव पुत्र कालूराम जाति अहीर उम्र 42 वर्ष निवासी सिहोड़ तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनूं (राज.)

.... प्रार्थी

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 09–03–2021**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम सिहोड़ स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 13 में प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार पुत्र कालूराम के स्थान पर सुरेश यादव पुत्र कालूराम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। राज पैरोकार नायब तहसीलदार खेतड़ी ने उपस्थित होकर प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमती व्यक्त की।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता सं. 13 ग्राम सिहोड़ पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम सिहोड़ स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 13 में प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार पुत्र कालूराम के स्थान पर सुरेश यादव पुत्र कालूराम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम सिहोड़ स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 13 में प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार पुत्र कालूराम के स्थान पर सुरेश यादव पुत्र कालूराम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09–03–2021 को [illegible]यालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:12:31 IST
Reason: SelfAttested

(राजपाल य[illegible]
उपखण्ड अधि[illegible]
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी